...य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज०)

...र्निना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
...0/2013	53,88,89,90,92A,188,RTA	निपानिया	छबड़ा

...वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
...जहां	बनाम	सुलेमान वगै0

आदेश पत्रक वकील :-

...	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
27.8.13	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,90,92A,188 RTA विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.10.2013 को पेश हो।	1225 20.9.13
8.10.13	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11.11.13 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
11.11.13	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24.12.13 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
24/12/13	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 4-2-14 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
4.2.14	पत्रावली पेश [illegible] वकील वादी उपस्थित [illegible] वादी की तलबी हेतु तलबाना पेश [illegible] पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.3.14 को पेश होवे।	

उनवान :.................................... **कार्यवाही एवं आदेश**

दिनांक	
24/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थिया लतिया व हजारा की ओर से प्रा.पत्र O1 Rule 10 एवं धारा 151 CPC का जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि प्रार्थीगण बख्तीशाह की जायज वारिस पुत्रिया है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त आराजीयात को विक्रय किया जा चुका है।
	वाद पत्र में बख्तीशाह के जायज वारिस होने पर भी पक्षकार नहीं बनाया गया। पक्षकारान बनाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा O1 Rule 10 धारा 151 CPC पेश किया गया है स्वीकार फरमाया जावे। प्रा.पत्र की प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई।
	उभयपक्षकारान जवाब पेश करना नहीं चाहते सीधे बहस करना चाहते है।
	बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा बख्ती शाह की जायज वारिस होने का कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे स्पष्ट एवं साबित हो सके कि यह बख्ती शाह के वारिस है। साथ ही पिता बख्ती शाह की भूमि से इनका कोई सरोकार नहीं है क्योंकि बख्ती शाह द्वारा सम्पूर्ण भूमि का बेचान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में न्यायालय से कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण अपने पिता के द्वारा किये गये बेचान से सन्तुष्ट नहीं है। तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में रजिस्ट्री के खिलाफ वाद दायर करना चाहिये था। वादीगण इस वाद पत्र में पक्षकार बनकर कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। चूंकि प्रमाण वर्ष 2013 से लम्बित है वाद पत्र को लम्बा

प्रा.2 ...
प्रा.3 हजारा
Identified by
Identified by

करने की नीयत से पक्षकार बनाने का प्रा० पत्र पेश किया गया है। चूंकि रौशन दाता वादनी नूरजहां की मृत्यु हो जाने के बाद वारिसान मुतवफीन कय्यूम अली पुत्र सुकराती को रिकार्ड पर लिया गया है

वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। अब वादी अपने वाद पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर इसी स्टेज पर वादपत्र का निस्तारण चाहता है एवं वर्णित आराजीयात बाबत हुए बंटवारे एवं नामान्तकरण में वादी पूर्णतया सहमत है। उभय पक्षकारान उपस्थित हैं सभी पक्षकारान, उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर कराये गये राजीनामा पढ़, सुन समझ पक्षकारान को पढ़कर सुनाया कोई भी पक्षकारान द्वारा आपत्ति पेश नहीं की। राजीनामा तस्दीक किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा वादपत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)